E-mail: director@cbseacademic.in
Website: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
23211576
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

CBSE/DIR(ART&I)/NED/2013/

दिनांक: 23 जुलाई, 2013
परिपत्र संख्या–अका॰ 48/2013

के॰मा॰षि॰बो॰ से संबद्ध
सभी विद्यालयों के प्रमुख

विषयः उद्यमिता पाठ्यक्रम–(066) कक्षा XI (2013–14 के संबंध में संषोधित)

प्रिय प्रधानाचार्य,

समृद्ध ज्ञान जगत एवं गत्यात्मक प्रौद्योगिकी विकास से प्रभावित आर्थिक परिवर्तनों के मौजूदा माहौल में, 'उद्यमिता पाठ्यक्रम के बदलावों को संशोधित तथा लागू करने की जरूरत, वर्तमान उद्यमिता पाठ्यक्रम के उन्नयन एवं अद्यतन के लिए एक आवश्यक कदम है। साथ ही, परिशुद्धता एवं विषयवस्तु के दृष्टिकोण से, अन्य योग्यता बाहुल्य पर आधारित शैक्षणिक विषयों के समकक्ष इसे ला खड़ा करने के लिए भी यह आवश्यक है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2013–14 के लिए, कक्षा XI के वैकल्पिक पाठ्यक्रम 'उद्यमिता' में संशोधन किया गया है। कक्षा XII के लिए संशोधित पुस्तक मार्च 2014 में उपलब्ध हो जाएगी।

'उद्यमिता' के संशोधित संस्करण में उन नए अध्यायों को शामिल किया गया है, जो कि छात्रों को बाज़ार की गतिशीलता से परिचित करवाते हैं तथा परियोजना–कार्य के माध्यम से उनकी अव्यक्त उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। इस संशोधन का लक्ष्य छात्रों को उच्च स्तरीय अवधारणाओं की बेहतर समझ प्राप्त करने में सहायता देने के लिए कुछ अधिक परिप्रेक्ष्य जानकारियों, केस के अध्ययनों, गतिविधियों एवं नए फार्मों को उपलब्ध कराना है, जिन्हें कक्षा XII के पाठ्यक्रम में अधिकाधिक गहनता से पेश किया जा रहा है।

संशोधित विषयवस्तु http://www.cbseacademic.in पर अपलोड की जा रही है तथा उसकी पक्की प्रति एक पुस्तक के रूप में सात कार्य–दिवसों के भीतर ही उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी प्रापत करने के लिए, आप श्री संदीप सेठी (शिक्षा अधिकारी) से बेहिचक 011–23217128 पर फोन से तथा touchsandeep.sethi@gmail.com पर ईमेल से संपर्क कर सकते हैं।

भवदीया

डॉ॰ साधना पाराषर

प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18–इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली –110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए.28ए कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारए पुराना सचिवालय, नई दिल्ली.–110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर–9, चंडीगढ़–160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम–737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर–744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के॰मा॰शि॰बो॰ कक्ष वी॰आई॰पी॰ मार्ग, जंगली घाट, पी॰ओ॰–744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस॰एस॰ प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110085.
10. शिक्षा अधिकारी / सह–शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के॰मा॰शि॰बो॰
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के॰मा॰शि॰बो॰ की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के॰मा॰शि॰बो॰
13. अध्यक्ष, के॰मा॰शि॰बो॰ के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के॰मा॰शि॰बो॰ के डेस्क अधिकारी / निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के॰मा॰शि॰बो॰, के निजी सहायक
20. के॰मा॰शि॰बो॰ के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने–अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)